न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/24/2024	12–06–2024	30–04–2026

1–सरकार जर्ये प्रर्वतन निरीक्षक तिजारा मुख्यालय अलवर, हाल खैरथल– तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1– अजीत सिंह पुत्र भूपसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहम्मदपुर अहीर थाना तावडू जिला नॅूह (हरियाणा)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत क्षमता 14.02 किग्रा के 12 एलपीजी सिलेण्डर्स को राजसात किये जाने बाबत।

उपस्थित:–

1– विभागीय प्रतिनिधि — उपस्थित

2– दिनेश यादव — उपस्थित

––:: निर्णय ::––

जिला रसद अधिकारी अलवर के दुरभाष पर दिये गये निर्देश दिनाक 26.06.2018 की पालना में प्रर्वतन निरीक्षक तिजारा द्वारा दिनाक 26.06.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डरो की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर वास्ते जॉच हेतु मौके पर पुलिस थाना भिवाडी फेस तृतीय तहसील तिजारा हाल टपूकडा पहुचा। पुलिस थाना भिवाडी ने फर्द डिटेन प्रस्तुत की मुताबिक फर्द डिटेन एक टेम्पु संख्या एच.आर.99टी–8998 जिसमें कुल 12 गैस सिलेण्डर घरेलू उपयोग क्षमता के 14.02 किग्रा सरकारी कम्पनी के रखे मिले। अजकब्जा अजीत सिंह पुत्र भूप सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहम्मदपुर अहीर थाना तावडू जिला नॅूह हरियाणा के द्वारा दिनाक 17.06.2018 को उपनिरीक्षक पुलिस थाना भिवाडी फेस तृतीय की गश्त/निगरानी के दौरान समय सांय 7.35 बजे अजन्ता चौक, तनहरचंदपुर पहुचा बी.के.टी कम्पनी की तरफ से एक आपे कम्पनी की थ्री व्हीलर संख्या एच.आर. 99टी–8998 आता हुआ दिखाई दिया जिसको जाब्ता की मदद से रूकवाकर चैक किया तो उक्त वाहन में पीछे एक काला पर्दा लगा हुआ था, वाहन में पीछे की तरफ 10 गैस सिलेण्डर व 2 सिलेण्डर ड्राईवर की सीट के नीचे रखे हुए मिले उठाने पर सिलेण्डर भरे हुए प्रतीत हुऐ। वाहन चालक द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरो के संबंध में कोई लाईसेंस/परमिट नही होना बताया व उक्त गैस सिलेण्डरो को परच्यून की दुकान पर बेचना बताया।

उक्त गैस सिलेण्डरो के बारे में अजीत सिंह पुत्र भूपसिंह द्वारा दिनाक 26.06.2018 को एवं उपस्थित साथियो के समक्ष पुलिस थाना यूआईटी भिवाडी फेज तृतीय के परिसर में टैम्पु संख्या एच.आर.99टी–8998 की जॉच की गयी। जिसमें पीछे की तरफ 10 गैस सिलेण्डर एवं सीट के नीचे 2 गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. कम्पनी के सील्ड पैक्ड क्षमता 14.02 किगा के मिले अजीत सिंह द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर के बारे में पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये एवं बताया की किसी व्यक्ति द्वारा (जिसने गैस कम्पनी के कपडे पहन रखे थे) ने औधोगिक क्षेत्र से मेरा टैम्पू 300 रूपये किराये पर किया और सांथलका ग्रांव तक ले जाने को कहा किन्तु अजन्ता चौक पर पुलिस द्वारा रोकने पर वह व्यक्ति अपनी मोटरसाईकील भगा कर ले गया। इस प्रकार अजीत सिंह पुत्र भूपसिंह जाति अहीर निवासी मोहम्मदपुर अहीर तहसील तावडू जिला नूंह हरियाणा द्वारा स्वंय की

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

6 फर्द मौका बयान किता 1

मलकियत के थ्री व्हीलर टैम्पू एच.आर.99टी–8998 में 12 आइ.ओ.सी. कम्पनी के सिल्ड भरे हुऐ क्षमता 14.02 किगा का अवैध परिवहन किया जाना पाया गया, जो गैस सिलेण्डरो का भण्डारण एवं परिवहन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उक्त भरे हुऐ 12 घरेलू सिलेण्डर एल.पी.जी गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.02 किगा) को कोटकासिम इंडेन ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधी यतेन्द्र वर्मा पुत्र रजनीश वर्मा को सुरक्षा की द्वष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र 6 ए अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त सामग्री को राजसात किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरियें नोटिस तलब किया गया। गैरसायल जर्ये वकील उपथित हुआ। वकील गैरसायल ने वक्त बहस निवेदन किया है, कि उक्त सिलेण्डर औधोगिक क्षेत्र से एक व्यक्ति जिसने गैस कम्पनी के कपडे पहने हुऐ था, उसके द्वारा मैरा टैम्पू किराये पर किया गया और मुझे उक्त सिलेण्डर सांथलका गांव में छोडने को कहा गया जिसका किराया मुझे 300/ रूपये देना तय हुआ मैने उक्त व्यक्ति से पूछा की यह सिलेण्डर किसके है, तो उसने बताया की मैं भिवाडी की गैस ऐजेन्सी का हॉकर हुॅ जिसको सांथलका गांव में जाकर इनका वितरण उपभोक्ताओ को करना है। मुझे पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय द्वारा अजन्ता चौक पर रोकने पर उक्त व्यक्ति अपनी मोटरसाईकिल लेकर भाग गया। गैरसायल को ज्यादा नियमो की जानकारी नही थी, अप्रार्थी द्वारा कोई अपराध नही किया गया है, नोटिस की कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया है, कि पुलिस थाना भिवाडी की फर्द डिटेन के मुताबिक एक टेम्पु संख्या एच.आर.99टी–8998 जिसमें कुल 12 गैस सिलेण्डर घरेलू उपयोग क्षमता के 14.02 किग्रा सरकारी कम्पनी के रखे मिले। गैरसायल अजीत सिंह पुत्र भूप सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहम्मदपुर अहीर थाना तावडू जिला नॅूह हरियाणा के द्वारा दिनाक 17.06.2018 को उपनिरीक्षक पुलिस थाना भिवाडी फेस तृतीय की गश्त/निगरानी के दौरान समय सांय 7.35 बजे अजन्ता चौक, तनहरचंदपुर पहुचा बी.के.टी कम्पनी की तरफ से एक आपे कम्पनी की थ्री व्हीलर संख्या एच.आर. 99टी–8998 आता हुआ दिखाई दिया, जिसको जाब्ता की मदद से रूकवाकर चैक किया तो उक्त वाहन में पीछे एक काला पर्दा लगा हुआ था, वाहन में पीछे की तरफ 10 गैस सिलेण्डर व 2 सिलेण्डर ड्राईवर की सीट के नीचे रखे हुए मिले उठाने पर सिलेण्डर भरे हुए प्रतीत हुऐ। वाहन चालक द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरो के संबंध में कोई लाईसेंस/परमिट नही होना बताया व उक्त गैस सिलेण्डरो को परच्यून की दुकान पर बेचना बताया। गैरसायल अजीत सिंह पुत्र भूपसिंह जाति अहीर निवासी मोहम्मदपुर अहीर तहसील तावडू जिला नूंह हरियाणा द्वारा स्वंय की मलकियत के थ्री व्हीलर टैम्पू एच.आर.99टी–8998 में 12 आइ.ओ.सी. कम्पनी के सिल्ड भरे हुऐ क्षमता 14.02 किगा का अवैध परिवहन किया जाना पाया गया, जो गैस सिलेण्डरो का भण्डारण एवं परिवहन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव विभागीय प्रतिनिधी/वकील गैरसाल की बहस का मनन किया। गैरसायल अजीत सिंह पुत्र भूपसिंह जाति अहीर निवासी मोहम्मदपुर अहीर तहसील तावडू जिला नूंह हरियाणा द्वारा स्वंय की मलकियत के थ्री व्हीलर टैम्पू एच.आर.99टी–8998 में 12 आइ.ओ. सी. कम्पनी के सिल्ड भरे हुऐ क्षमता 14.02 किगा का अवैध परिवहन किया जाना पाया गया, जिसे विभाग द्वारा नियमानुसार जब्त किया जाकर अग्रिम कार्यावाही की गयी है, जो गैस सिलेण्डरो का भण्डारण एवं परिवहन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सरकार जर्ये प्रर्वतन निरीक्षक, मुख्यालय अलवर, हाल खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाता है, आदेश दिये जाते है, कि प्रकरण में जप्त किये गये 12 आइ.ओ.सी. कम्पनी के सिल्ड भरे हुऐ क्षमता 14.02 किगा जो सुरक्षा की द्वष्टि से कोटकासिम इंडेन ग्रामीण वितरक के

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

6 फर्द मौका बयान किया 1

प्रतिनिधी यतेन्द्र वर्मा पुत्र रजनीश वर्मा की सुपुर्दगी में दिया है। से नियमानुसार वापिस प्राप्त की जाकर राजसात की कार्यवाही की जावे, आदेश की पालना में कार्यवाही की जाकर की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर एंव जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा (राज0)